

हिंदुस्तान सीबा गीगी

बनाम

भारत संघ और अन्य

20 नवंबर, 2002

[जी. बी. पटनायक, मुख्य न्यायाधीश, एच. के. सेमा और एस. बी. सिन्हा,

न्यायाधीश]

संविधि की व्याख्या:

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यवहार अधिनियम, 1969: धारा 36 ए अनुचित व्यापार व्यवहार- सिद्धांत- का आह्वान- अभिनिर्धारित किया गया, ऐसे व्यवहार, जिनके परिणामस्वरूप प्रतिस्पर्धा को समाप्त करके या सीमित करके उपभोक्ता को वास्तविक हानि या क्षति पहुंचाई जाती है- इन शर्तों को कानून के प्रावधानों को लागू करने के लिए संयुक्त रूप से पढ़ा जाना चाहिए।

अपील में जो प्रश्न उठा वह यह था कि क्या अधिनियम की धारा 36 ए के तहत, (जैसा कि तब था), माल या सेवा के उपभोक्ता को हानि या क्षति पहुंचाना, उसके तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए एक अनिवार्य शर्त है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि: एकाधिकार तथा अवरोधक व्यवहार अधिनियम की धारा 36-ए के तहत प्रावधानों का मात्र अवलोकन स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि अनुचित व्यापार व्यवहार का मतलब एक ऐसा व्यापार व्यवहार होगा जिसके तहत किसी भी सामान की बिक्री, उपयोग या आपूर्ति को बढ़ावा देने या किसी भी सेवा के प्रावधान के लिए, उसमें अपनाई गई

निर्दिष्ट व्यवहारों में से किसी एक या अधिक को अपनाया जाता है और इसके परिणामस्वरूप प्रतिस्पर्धा को समाप्त करके या सीमित करके या अन्य किसी प्रकार से ऐसी वस्तुओं या सेवाओं के उपभोक्ताओं को हानि या क्षति पहुंचाई जाती है। इससे यह भी स्पष्ट रूप से दर्शित होता है कि उसमें उल्लिखित दो शर्तों को संयुक्त रूप से पढ़ा जाना आवश्यक है, न कि विच्छेदित रूप से। प्रावधान में कोई संदेह नहीं है कि नोटिस के खिलाफ जांच न केवल तब शुरू की जा सकती है जब वह उसमें निर्दिष्ट एक या अधिक व्यवहारों को अपनाता है, बल्कि यह तब भी शुरू की जा सकती है जब इससे उपभोक्ताओं को नुकसान या क्षति पहुंचती है। आयोग ने यह मानने में स्पष्ट त्रुटि की कि उपभोक्ताओं को वास्तविक हानि या क्षति पहुंचाना आवश्यक नहीं है। [229- बी-ई]

एच. एम. एम. लिमिटेड बनाम महानिदेशक, एकाधिकार और अवरोधक व्यवहार अधिनियम, [1998] 6 एस सी सी 485 पर भरोसा किया।

यू.टी.पी.ई. संख्या 41/1984 में कॉलगेट पामोलिव (इंडिया) लिमिटेड बनाम एकाधिकार तथा अवरोधक व्यवहार आयोग और अन्य, जिस पर 19 जून, 1991 को निर्णय लिया गया, को खारिज कर दिया गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 3224/1993

(यू.टी.पी.ई. संख्या 31/1987 में एम. आर. टी. पी. आयोग, नई दिल्ली का निर्णय और आदेश दिनांकित 4.3.1997 से।)

अपीलार्थी के लिए एम/एस जे.बी.डी. एंड कंपनी के लिए आर. नारायण

प्रतिवादीगण के लिए एन. एन. गोस्वामी, सी. के. सुचरिता और पी. परमेश्वरन

निर्णय न्यायाधीश एस. बी. सिन्हा द्वारा सुनाया गया।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यवहार अधिनियम, 1969 ('अधिनियम') की धारा 55 के तहत इस अपील में शामिल कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या अधिनियम की धारा 36 ए के तहत, (जैसा कि तब था), सामान या सेवा के उपभोक्ता को हानि या क्षति पहुंचाना इसके तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए अनिवार्य शर्त है।

एच.डी. मर्ज़ेलो ने जांच और पंजीकरण महानिदेशक के समक्ष अपीलकर्ता के खिलाफ अनुचित व्यापार व्यवहार का आरोप लगाते हुए एक शिकायत पेश की, जो उनके द्वारा जारी एक विज्ञापन के संबंध में थी, जो 16 सितंबर, 1986 को "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में निम्नलिखित प्रभाव से प्रकाशित किया गया था:

"एयरोकोल की पारिवारिक पृष्ठभूमि: लकड़ी को चिपकाने वाले एक अद्भुत गोंद के रूप में एयरोकोल की विश्वसनीयता दो तथ्यों से उपजी है। यह एराल्डाइट और एयरोलाइट परिवार का एक अतिरिक्त उत्पाद है, जो हिंदुस्तानी सीबा गैंगी का एक उत्पाद है। यूके में यह पहले से ही मार्केट लीडर है, यह अपने वादे को पूरा करने के लिए जाना जाता है।"

उक्त शिकायत पर, महानिदेशक को एक प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया गया था। उक्त जांच के बाद 15 अप्रैल, 1987 को एक रिपोर्ट पेश की गई थी। कथित जांच रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर, आयोग द्वारा अपीलार्थी के खिलाफ 30 जुलाई, 1987 को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया गया था; इसका प्रासंगिक हिस्सा निम्नानुसार है:

"ऊपर उल्लिखित प्रतिवादी एयरोकोल नामक पदार्थ बेचने के व्यापार में संलग्न है। इसने एक विज्ञापन जारी किया था, जो टाइम्स ऑफ

इंडिया दिनांक 16.9.1986 में यह दावा करते हुए प्रकाशित किया था कि उत्पाद इसके द्वारा निर्मित है। आयोग के ध्यान में आया है कि उक्त उत्पाद मेसर्स किरण इंडस्ट्रीज़ द्वारा बनाया गया है। प्रतिवादी ने जनता के सामने गलत बयानी करके कि उत्पाद का निर्माण उसके द्वारा किया गया है, जबकि इसका निर्माण किसी अन्य कंपनी द्वारा किया गया है, उपभोक्ताओं को हानि और क्षति पहुंचाई है और इस प्रकार वह अधिनियम की धारा 36 ए (1) (वी) के दायरे में आने वाले अनुचित व्यापार व्यवहार में लिप्त हो गया।

प्रतिवादी ने यह भी दावा किया था कि उसका उत्पाद यू.के. में बाजार में अग्रणी है। आयोग के ध्यान में आया है कि प्रतिवादी द्वारा किए गए दावे को उसके द्वारा विधिवत प्रमाणित नहीं किया गया है। प्रतिवादी ने इतना बड़ा दावा करके, उपभोक्ता को हानि और क्षति पहुंचाई है और वह अधिनियम की धारा 36 ए (1) (आई) के अर्थ के अंतर्गत आने वाले अनुचित व्यापार व्यवहार में लिप्त हो गया है।"

उपरोक्त पूछताछ के नोटिस के अनुसरण में या उसे आगे बढ़ाते हुए अपीलार्थी ने न केवल उसमें लगाए गए आरोपों का विरोध करते हुए अपना जवाब दाखिल किया, बल्कि उनकी संधारणीयता के संबंध में प्रारंभिक आपत्ति भी जताई; जिसके बाद आयोग ने निम्नलिखित मुद्दे उठाए:

"(1) क्या जांच कानूनी रूप से संधारणीय नहीं है?

(2) क्या प्रतिवादी किसी अनुचित व्यापार व्यवहार में लिप्त था जैसा कि एन. आई. ई. और पी. आई. आर. में आरोप लगाया गया है?

(3) प्रकरण में मुद्दा संख्या 2 का निर्णय सकारात्मक रूप से किया गया है, क्या अनुचित व्यापार व्यवहार सार्वजनिक हित या आम तौर पर किसी उपभोक्ता या उपभोक्ताओं के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है?

(4) अनुतोष।"

आयोग ने महानिदेशक के अधिवक्ता की ओर से उठाए गए तर्कों को स्वीकार कर लिया और माना कि "इससे उपभोक्ता को हानि या क्षति पहुंचती है" शब्दों का मतलब वास्तविक हानि या क्षति नहीं होगा। आयोग ने अपने उपर्युक्त निष्कर्ष के अनुसरण में कोलगेट पामोलिव (इंडिया) लिमिटेड बनाम एम.आर.टी.पी. आयोग और अन्य मामले में यू.टी.पी.ई क्रमांक 41/1984 में दिनांक 19 जून 1991 को निर्णीत वृहद पीठ के फैसले पर भरोसा किया।

अधिनियम की धारा 36 ए, जैसा कि उस समय थी, इस प्रकार है:

"36 ए. अनुचित व्यापार व्यवहार की परिभाषा। इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "अनुचित व्यापार व्यवहार" का अर्थ एक व्यापार व्यवहार है, जो किसी भी सामान की बिक्री, उपयोग या आपूर्ति को बढ़ावा देने या किसी भी सेवा के प्रावधान के लिए निम्नलिखित में से एक या अधिक को अपनाता है, व्यवहार करता है और इस प्रकार ऐसी वस्तुओं या सेवाओं के उपभोक्ताओं को हानि या क्षति पहुंचाता है, चाहे प्रतिस्पर्धा को समाप्त करके या सीमित करके या अन्य किसी प्रकार से, अर्थात्: उपरोक्त प्रावधान के मात्र अवलोकन स्पष्ट है कि एक अनुचित व्यापार व्यवहार का अर्थ है एक व्यापार

व्यवहार जो किसी भी वस्तु की बिक्री, उपयोग या आपूर्ति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से या किसी भी सेवा के प्रावधान के लिए, उसमें निर्दिष्ट व्यवहारों में से एक या अधिक को अपनाता है और जिसके परिणामस्वरूप ऐसी वस्तुओं या सेवाओं के उपभोक्ताओं को, या तो प्रतिस्पर्धा को समाप्त या सीमित करके या अन्य किसी प्रक्रिया से, नुकसान या क्षति पहुँचती है। इससे यह भी स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उसमें उल्लिखित दो शर्तों को संयुक्त रूप से पढ़ा जाना आवश्यक है, न कि विच्छेदित रूप से।"

इस प्रकार, हमारी सुविचारित राय में, उपरोक्त प्रावधान से कोई संदेह नहीं रह जाता है कि नोटिस प्राप्तकर्ता के खिलाफ न केवल तब जांच शुरू की जा सकती है, जब वह उसमें निर्दिष्ट एक या अधिक व्यवहारों को अपनाता है, बल्कि तब भी जब इससे उपभोक्ताओं को हानि या क्षति पहुँचती है।

इसके अतिरिक्त, नोटिस दिनांक 30.7.1987 के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि उसमें निश्चित आरोप लगाए गए थे कि अपीलकर्ता की ओर से की गई आक्षेपित कार्रवाई के कारण उपभोक्ताओं को नुकसान या क्षति पहुँची।

इसलिए, हमारी राय में, आयोग ने यह मानने में स्पष्ट त्रुटि की है कि कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए उपभोक्ताओं को वास्तविक नुकसान या चोट पहुँचाने की आवश्यकता नहीं है। इस न्यायालय द्वारा एच. एम. एम. लिमिटेड बनाम महानिदेशक, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यवहार आयोग, [1998] 6 एस. सी. सी. 485 पर विचार किया गया है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था:

"व्यापार में किए गए किसी व्यवहार को अनुचित व्यापार व्यवहार के रूप में अभिनिर्धारित करने के लिए, यह पाया जाना चाहिए कि इससे उपभोक्ता को हानि या क्षति पहुंची है। जहां तक पुरस्कारों का सवाल है, उन्हें प्रस्तावित तरीके से प्रदान न करने या उन्हें प्रदान करते समय ऐसा आभास पैदा करने का इरादा नहीं होना चाहिए कि उन्हें दिया जा रहा है या मुफ्त में दिया जा रहा है जबकि वास्तव में उनकी लागत संपूर्ण लेनदेन में ली गई राशि से पूरी तरह या आंशिक रूप से कवर की जाती हैं। किसी उत्पाद की बिक्री, उपयोग या आपूर्ति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लॉटरी का संचालन एक अनुचित व्यापार व्यवहार है। अपील के तहत फैसले में इन पहलुओं पर स्पष्ट और संधारणीय निष्कर्ष देखना मुश्किल है।"

ज्ञात हो कि कोलगेट पामोलिव (इंडिया) लिमिटेड में आयोग की वृहत पीठ के निर्णय, जिस पर आयोग ने भरोसा किया था, को इस न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 891/1993 आदि में आज की तारीख में दिए गए फैसले से पलट दिया गया है।

उपरोक्त कारणों से, आक्षेपित निर्णय संधारणीय नहीं है, जिसे तदनुसार रद्द किया जाता है। अपील को अनुमति प्रदान की जाती है, लेकिन प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में हर्जे-खर्चे पर कोई आदेश नहीं होगा।

एस.के.एस.

अपील को अनुमति प्रदान की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' के जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।